

पुलिस आदेश सं० २१६ / २०००.

१. पुलिस आदेश २३८/९३ के कंडिका-१२ में संशोधन ।

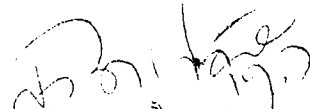
पुलिस आदेश २३८/९३ के कंडिका-१२ में यह उल्लेख है कि "यदि किसी परीक्षार्थी ने उत्तर पुस्तिकाओं के मुल्यांकन पर नैरेड हो और उसका खेड्ड कारण हो तो इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्राचार्य, प्रविक्षण केन्द्र अथवा प्रविक्षण मुख्यालय को दे सकते हैं । मुल्यांकन शुल्क के रूप में १००/- रुपये जमा करना है ।" इस आदेश के फल-स्वरूप परीक्षा प्रकाशन के सातों-सात लाख अभ्यर्थी पुनः मुल्यांकन का आग्रह करते हैं, जिस कारण पाँचों हुई पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखना पड़ रहा है । फलस्वरूप पी० टी०सी० में उत्तर पुस्तिकाओं का अभाव हो गया है ।

अतः पुलिस आदेश सं० २३८/९३ के कंडिका-१२ में संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश दिया जा रहा है :-

१। पुनः मुल्यांकन का दावा परीक्षाफल प्रकाशन के एक वर्ष तक ही मान्य होगा ।

२। उत्तर पुस्तिकाओं का विनष्टीकरण परीक्षाफल प्रकाशन के ३ वर्ष बाद कर दिया जाय ।

यह आदेश तत्कालीन प्रभाव से लागू होगा तथा इस आदेश के आलोक में पुलिस आदेश सं० २३८/९३ की कंडिका-१२ संशोधित समझी जाय ।


१ के० ए० जैकब ।

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

आपांक १२५९ / प्र०
१-२७-९३ म.प.दि.

महानिदेशक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक १२.७.२०००.

प्रतिनिधि :- आरक्षी महानिदेशक, जैन्य पुलिस, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

" २. जय प्रदीप अथवा महानिदेशक को सूचनार्थ प्रेषित ।

" ३. महानिरीक्षक जे.पी. बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

१०५०३१

- प्रतिलिपि: - 4. आरक्षी महानिरीक्षक, अम0अनु0वि0/विशेष शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।
5. आरक्षी उप-महानिरीक्षक प्रशि0 सह-प्राचार्य, पी0टी0सी0, हजारगंज बाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
6. सभी आरक्षी अधीक्षक रेलवे सहित को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
7. सभी समादेशदाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
8. आरक्षी अधीक्षक सम0पी0टी0सी0, पदमा/सी0टी0एस0, नारायणगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
9. प्राचार्य, टी0टी0एस0, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।
10. आरक्षी महानिरीक्षक के महाप्रबन्ध निरीक्षण बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

महानिरीक्षक-सह-आरक्षी महानिरीक्षक
बिहार, पटना ।

संज्ञ-द/10.7.

=====